

# डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6-7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला शाहपुरा (राज0)  
बईजलास सुनील कुमार मीणा, (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

उनवान

भोलूदास पुत्र रामचन्द्रदास वैष्णव निवासी उम्मेदनगर तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा  
- वादी

बनाम

- 1- बंशी पुत्र हजारी खाती निवासी उम्मेदनगर तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 2- खाना पुत्र हजारी खाती निवासी उम्मेदनगर तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 3- सोहन पुत्र हजारी खाती निवासी उम्मेदनगर तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 4- भुरी पत्नी कल्याण खाती निवासी उम्मेदनगर तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 5- तहसीलदार लेण्ड होल्डर तहसील कार्यालय शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत कब्जेयाबी एवं दिलाये जाने हर्जाना  
अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा नम्बर 109/2017 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व  
.....X ..... मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है। डिक्री दी  
जाती है कि :-

वाद वादीगण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज किया जाता है।

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से तारीख  
व सूलयाबी तक अदा करे।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 06 माह 11 सन् 2025 को जारी की गई।



(सुनील कुमार मीणा)  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक कलेक्टर, शाहपुरा